न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 25 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. प्रागसिंह पुत्र हमीरसिंह के विधिक वारिशान दानसिंह गोदपुत्र प्रागसिंह उम्र 30 वर्ष जाति राजपूत निवासी आसाड़ी तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सज्जनसिंह पुत्र हमीरसिंह उम्र 75 वर्ष
2.शेरसिंह पुत्र हमीरसिंह फौत के कायम मुकामः–
2 / 1पदमसिंह पुत्र शेरसिंह उम्र 35 वर्ष
2 / 2मूलसिंह पुत्र शेरसिंह उम्र 38 वर्ष
2 / 3केसरकंवर पत्नी स्व. शेरसिंह उम्र 65 वर्ष जातियान राजपूत, निवासीयान आसाड़ी तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर।
3.श्रीमान तहसीलदार, शिव
4.श्रीमान तहसीलदार, गडरारोड़।
5.राजुसिंह पुत्र पेम्पसिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी पी.जी. कॉलोनी, लाल सागर रोड़,जोधपुर
6.समीरखान पुत्र अजीज खान उम्र 52 वर्ष जाति मुसलमान निवासी माण्डीयाई कला, तहसील ओसिया जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व परगना अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 33 / 1976 बअनवान सज्जनसिंह बनाम प्रागसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09. 1976 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रमेश सोलंकी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनील के मेराजा रेस्पोडेंट संख्या 2 / 1 से 2 / 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 19.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा आसाड़ी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 क पैतृक व पुश्तैनी भूमि खेत खसरा संख्या 189, 118, 584, 159, 233, 91 व 163 संयुक्त रकबा 1111.05 बीघा की स्थित थी, जो अपीलांट के पिता हमीरसिंह की खातेदारी का था, जिसका पर्चा लगान व खतौनी बन्दोबस्त हमीरसिंह के नाम से जारी हुए थे। हमीरसिंह का वर्ष 1963 में निर्वसीयती

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

देहान्त हो गया था, जिस पर वादग्रस्त आराजी जो की अपीलांट की पैतृक व पुश्तैनी भूमि थी। उसमें हमीरसिंह के तीनों पुत्रों क्रमशः प्रागसिंह, शेरसिंह व सज्जनसिंह का नाम धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए नामान्तरकरण संख्या 06 स्वीकृत दिनांक 11.06.1963 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 व 2 का 1/3–1/3 हक–हिस्सा निहित हो गया था एवं इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते रहे। उतरदाता संख्या 01 सज्जनसिंह जो कि अपीलांट का सबसे छोटा भाई होने के साथ ही पढ़ा लिखा हैं एवं पुलिस में कानिस्टेबल थे, जिन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़ा करवाने का वाद प्रस्तुत किया, अपीलांट जो कि गांव के अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति थे, को खेत का बराबर–बराबर बंटवाड़ा करने का कहकर अंगुष्ठ निशान करवाए एवं खेतों का गलत बंटवाड़ा कर अपीलांट का विवादित आराजी में दर्ज उसके 1/3 हिस्से से कम भूमि देते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंटवाड़ा करने का आदेश पारित करना था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं स्थापित नियमों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि मौजा आसाड़ी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 क पैतृक व पुश्तैनी भूमि खेत खसरा संख्या 189, 118, 584, 159, 233, 91 व 163 संयुक्त रकबा 1111.05 बीघा की स्थित थी, जो अपीलांट के पिता हमीरसिंह की खातेदारी का था, जिसका पर्चा लगान व खतौनी बन्दोबस्त हमीरसिंह के नाम से जारी हुए थे। हमीरसिंह का वर्ष 1963 में निर्वसीयती देहान्त हो गया था, जिस पर वादग्रस्त आराजी जो की अपीलांट की पैतृक व पुश्तैनी भूमि थी। उसमें हमीरसिंह के तीनों पुत्रों क्रमशः प्रागसिंह, शेरसिंह व सज्जनसिंह का नाम धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए नामान्तरकरण संख्या 06 स्वीकृत दिनांक 11.06.1963 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 व 2 का 1/3–1/3 हक–हिस्सा निहित हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़ा करवाने का वाद प्रस्तुत किया, अपीलांट जो कि गांव के अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति थे, को खेत का बराबर–बराबर बंटवाड़ा करने का कहकर अंगुष्ठ निशान करवाए एवं खेतों का गलत बंटवाड़ा कर अपीलांट का विवादित आराजी में दर्ज उसके 1/3 हिस्से से कम भूमि देते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंटवाड़ा करने का आदेश पारित करना था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं स्थापित नियमों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। बंटवाड़े के मामले में राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाता हैं विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थापित राजस्व प्रक्रिया एवं नियमों की पालना नहीं कर विधि की घोर अवहेलना की गई है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 ने लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पैतृक व पुश्तैनी भूमि थी। उतरदाता संख्या 02 के पिता हमीरसिंह के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि थी जिसमें उनके तीनों पुत्रों क्रमशः प्रागसिंह, शेरसिंह व सज्जनसिंह का बराबर–बराबर हक–हिस्सा था एवं तीनों भाईयों ने अपना हक हिस्से का विभाजन भी बराबर–बराबर करवाया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी हिस्सों की घोषणा बाबत न तो दावा पेश किया और न ही इस हेतु कोई न्याय शुल्क अदा किया गया ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को वादी के विवादित आराजी में हिस्से की घोषणा करने की अधिकारिता शक्तियों के उपयोग की परिभाषा में आता है। अपीलांट प्रागसिंह ने अपने कोई जाइन्दा सन्तान नहीं होने से दानसिंह को विधित रूप से गोद दिया था जिसका गोदनामा दिनांक 11.10.2004 को उप पंजीयक गडरारोड़ में पंजीबद्ध करवाया था जिसमें दानसिंह की माता व पिता की पूर्ण सहमति थी। मौजा आसाड़ी तहसील शिव वर्तमान तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर का खेत खसरा संख्या 189 रकबा 102.06 बीघा भूमि अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 व 2 की पैतृक व पुश्तैनी भूमि थी जो पैतृक रूप से हमीरसिंह के फौत होने पर प्राप्त हुई थी। वर्तमान में भी खसरा संख्या 189 के 1/3 हिस्से की भूमि पर उतरदाता संख्या 2 के वारिशान द्वारा तारबन्दी कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उसमें झूम्पा, टांका बना कर अपना भौतिक कब्जा स्थापित कर रखा है। किन्तु उतरदाता संख्या 5 ने अपीलांट के साथ सांठ–गांठ कर अपीलांट को छल व धोखे में रख कर छुपे तौर से 1/3 हिस्सा खरीद करना तय करने के पश्चात बेचाननामा दिनांक 30.06.1995 को बेचाननामा निष्पादित कर उप पंजीयक गडरारोड़ में पंजीबद्ध करवा लिया। उतरदाता संख्या 05 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा उतरदाता संख्या 6 को बेचान कर दिया। चूंकि उक्त आराजी बार्डर सीमान्त क्षेत्र में अवस्थित थी। ऐसी स्थिति में उतरदाता संख्या 5 कभी भी खसरा संख्या 189 का भौतिक कब्जा लेने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ। साथ ही अपीलांट को उतरदाता संख्या 2 के हक–हिस्से व उसके कब्जे काश्त की भूमि को बेचान करने का भी कोई विधिक अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में उतरदाता संख्या 02 मौजा आसाडी के खेत खसरा संख्या 189 रकबा 102.05 बीघा में अपने 1/3 हिस्से की घोषणा के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट दानसिंह, जो कि प्रागसिंह का गोद पुत्र हैं, उसके जन्म से पहले आलौच्य निर्णय व डिक्री पर्चा विधि एवं स्थापित नियमों की अनदेखी कर साम्या एवं प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल जाकर अपीलांट प्रागसिंह के छोटे भाईयों द्वारा छल एवं कपट से पारित करवाया गया हैं, जो प्रारम्भ से ही शून्य हैं। इसलिये इस पर कोई परिसीमा लागू नहीं होती हैं, लेकिन उसके पश्चात भी अपीलांट को आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा की जानकारी अरसा 02 फरवरी 2019 को जब उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांट का कब्जा खसरा संख्या 163 में बेरा करवाकर जब सम्पूर्ण भूमि पर तारबन्दी करने लगे तब अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि पर अपने कब्जे काश्त 1/3 हिस्से की भूमि पर उतरदाता संख्या 01 को कब्जा करने से मना किया तो उतरदाता संख्या 01 ने बताया कि खसरा संख्या 163 की सारी भूमि मेरे अकेले की हैं, इसमें हमने प्रागसिंह का नाम पहले ही निकाल दिया था, इसलिये अब तुम्हारा कब्जा हटा देगें। तब अपीलांट ने पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया तो उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 05.02.2019 को आलोच्य निर्णय की प्रमाणित प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया जिस पर अपीलांट को आलौच्य निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति दिनांक 12.02.2019 को प्राप्त हुई, जिस अपीलांट द्वारा सम्यक तत्परता एवं सद्भावना से यह अपील पेश की हैं, तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी सहखातेदारी भूमि होने से वाद बंटवाड़ा का पेश हुआ। वादी एवं प्रतिवादी स्व0 हमीरसिंह के जाईदा पुत्र होने के कारण वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा के अधिकारी है परन्तु तथाकथित सहमति से किये बंटवाड़ा में भूमि इनमें असमान रूप से विभाजित की गई। प्रतिवादी संख्या 01 प्रागसिंह को 243.15 बीघा, प्रतिवादी संख्या 02 शेरसिंह को 433.18 बीघा तथा वादी सज्जनसिंह को 433.06 बीघा भूमि दी गई। इस प्रकार सह खातेदारी भूमि का अपीलाधीन निर्णय से खसरा एवं रकबा में असमान विभाजन हुआ। इसमें जोत विभाजन के मूलभूत सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 प्रागसिंह अशिक्षित व्यक्ति था, जिसे सबसे कम भूमि दी गई। उसके जबाबदावे को पीठासीन अधिकार द्वारा पढकर सुनाया/समजाया जाना तहरीर कर तस्दीक नहीं किया जबकि शिक्षित प्रतिवादी संख्या 02 शेरसिंह के जबाबदावे पर इस आशय की तहरीर अवश्य लिखि गई है। यह बंटवाड़ा का दावा परगना अधिकारी बाड़मेर की हैसियत एवं मुहर से निर्णीत किया है जो क्षेत्राधिकार से परे भी लक्षित होता है क्योंकि यह दावा सहायक कलक्टर की हैसियत से निर्णीत होना विधि में विहित है। अपीलाधीन निर्णय विधि अनुकूल एवं औचित्यपूर्ण(Fair) नहीं होने से निर्णय में किये बंटवारे की सीमा तक अपास्त किये जाने योग्य है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक खसरा संख्या 189 रकबा 102.05 बीघा क्रमिक विक्रय पश्चात राजस्थान सरकार के खाते में सिवायचक भूमि है। इस खसरे में शेरसिंह के वारिसानों (उतरदाता संख्या 2/1 से 2/3) का 1/3 हिस्सा का काउंटर अपील में मांगा गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से कोई उज्र एतराज/ काउंटर क्लेम न तो पेश हुआ न ही उसकी उपस्थिति बावजूद सम्यक तामील रही है। रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/3 का कांउटर क्लेम स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 189 रकबा 102.05 बीघा में 1/3 हिस्सा रकबा 34.01 बीघा उनके खाते में रखा जाना वाजिब ठहरता है। राज्य सरकार के खाते के इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खसरे में से कम होने वाली 34.01 बीघा भूमि अपीलांट खाते के दानसिंह गोद पुत्र प्रागसिंह की प्रस्तुत सहमति दिनांक 17.06.2019 के मद्देनजर उनके खेत खसरा संख्या 118 रकबा 141.10 बीघा में से ली जानी उचित है क्योंकि भूमि की किस्म बा. चा.समान है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय परगना अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/1976 बअनवान सज्जनसिंह बनाम प्रागसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.1976 को निरस्त किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में निम्नानुसार प्रविष्टियाँ किये जाने हेतु तहसीलदार गडरारोड़ को आदेश दिये जाते है।

ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	वर्तमान विद्यमान प्रविष्टियाँ	प्रविष्टियां जो नामांतरकरण में की जाकर अमल दरामद हेतु आदेशित है।	
आसाड़ी	233	70.00 बीघा	पदमसिंह, मूलसिंह पिता शेरसिंह, केसरकंवर पत्नी शेरसिंह	सज्जनसिंह पुत्र हमीरसिंह1/3 हिस्सा, पदमसिंह, मूलसिंह पिता शेरसिंह,केसरकंवर पत्नी शेरसिंह1/3 हिस्सा, दानसिंह गोदपुत्र प्रागसिंह 1/3 हिस्सा जाति राजपूत निवासी आसाड़ी	
आसाड़ी	603/233	67.07	सज्जनसिंह वल्द हमीरसिंह	सज्जनसिंह पुत्र हमीरसिंह1/3 हिस्सा, पदमसिंह, मूलसिंह पिता शेरसिंह,केसरकंवर पत्नी शेरसिंह1/3 हिस्सा, दानसिंह गोदपुत्र प्रागसिंह 1/3 हिस्सा जाति राजपूत निवासी आसाड़ी	
कुबड़िया	91	51.11 बीघा	सज्जनसिंह वल्द हमीरसिंह	सज्जनसिंह पुत्र हमीरसिंह1/3 हिस्सा, पदमसिंह, मूलसिंह पिता शेरसिंह,केसरकंवर पत्नी शेरसिंह1/3 हिस्सा, दानसिंह गोदपुत्र प्रागसिंह 1/3 हिस्सा जाति राजपूत निवासी आसाड़ी	
आसाड़ी	189	102.05 बीघा	राजस्थान सरकार	34.01 बीघा	पदमसिंह, मूलसिंह पुत्र शेरसिंह, केसरकंवर पत्नी शेरसिंह जाति राजपूत निवासी आसाड़ी
				68.04 बीघा	राज्य सरकार
आसाड़ी सिंधयान	159 584 647/118	42.11 111.08 210.00	पदमसिंह, मूलसिंह पिता शेरसिंह, केसरकंवर पत्नी शेरसिंह	सज्जनसिंह पुत्र हमीरसिंह1/3 हिस्सा, पदमसिंह, मूलसिंह पिता शेरसिंह,केसरकंवर पत्नी शेरसिंह1/3 हिस्सा, दानसिंह गोदपुत्र प्रागसिंह 1/3 हिस्सा जाति राजपूत निवासी आसाड़ी	

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आसाड़ी सिंधयान	163 672/159	112.08 42.05	सज्जनसिंह पुत्र हमीरसिंह	सज्जनसिंह पुत्र हमीरसिंह1/3 हिस्सा, पदमसिंह, मूलसिंह पिता शेरसिंह,केसरकंवर पत्नी शेरसिंह1/3 हिस्सा, दानसिंह गोदपुत्र प्रागसिंह 1/3 हिस्सा जाति राजपूत निवासी आसाड़ी	
आसाड़ी सिंधयान	118 648/118	141.10 160.00	दानसिंह गोदपुत्र प्रागसिंह सज्जनसिंह पुत्र हमीरसिंह	34.01 बीघा (अ)107.09 बीघा (ब)160.00 बीघा कुल रकबा (अ व ब) 267.09 बीघा	राज्य सरकार सज्जनसिंह पुत्र हमीरसिंह रकबा 134.13 बीघा, पदमसिंह, मूलसिंह पिता शेरसिंह,केसरकंवर पत्नी शेरसिंह रकबा 100.09 बीघा व दानसिंह गोदपुत्र प्रागसिंह रकबा 32.07 बीघा जाति राजपूत निवासी आसाडी

19/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner